उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
विकप भवन, तृतीय तल, विभूतिखंड, गोमती नगर, लखनऊ
संख्या:17/05/विज्ञा0अनु0 (स्नातक)/2026/04-परीक्षा/2026
लखनऊ: दिनांक-09 अप्रैल, 2026

विज्ञप्ति

विज्ञापन संख्या-04-परीक्षा/2026, सहायक बोरिंग तकनीशियन मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2025)/05

लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन सहायक बोरिंग तकनीशियन के कुल रिक्त 402 पदों पर चयन हेतु उक्त विज्ञापन आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in पर दिनांक 16-03-2026 को प्रकाशित कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन से सम्बन्धित तिथियां निम्नवत हैं-

- ऑनलाइन आवेदन / शुल्क जमा करना प्रारम्भ होने की तिथि- **15-04-2026**
- ऑनलाइन आवेदन/ शुल्क जमा /आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि- **05-05-2026**
- शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि- **12-05-2026**

इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर विस्तृत विज्ञापन डाउनलोड कर सकते हैं तथा प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी सम्बन्धित विज्ञापन का अवलोकन व अध्ययन कर आयोग की वेबसाइट पर दिये गये लिंक पर जाकर वांछित प्रविष्टियों को अंकित कर ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर सकते हैं।

सचिव,
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
लखनऊ।

www.upgov.nic.in
UPID: 249670 Dt: 10/04/26

मनोरंजन, क्रिकेटजगत की हर खबर amarujala.com पर

पत्नी मोबाइल पर करती रही बात पीटकर मार डाला, पति हिरासत में

हरदोई : बात करने पर जताई नाराजगी तो पत्नी दूसरे कमरे में जाकर करने लगी बात, मोबाइल छीनकर तोड़ा, फिर लाठी से पीटा

बिलग्राम (हरदोई)। कोतवाली क्षेत्र के गनीपुर में मोबाइल पर लगातार बात करने से नाराज पति ने पत्नी की पीटकर हत्या कर दी। मृतका के पिता की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है। हत्या में प्रयुक्त डंडा भी बरामद कर लिया गया है।

गनीपुर निवासी जितेंद्र गुरुग्राम में खाद्य सामग्री बनाने वाली एक फैक्टरी में काम करता है। वह पत्नी गुड़िया (31) और चार बच्चों के साथ गुरुग्राम में ही रहता था। ग्रामीणों के मुताबिक 20 दिन पहले पत्नी और बच्चों के साथ जितेंद्र गांव आया था। सीओ रवि प्रकाश सिंह ने बताया कि बृहस्पतिवार रात पूरा परिवार घर पर ही था। इसी दौरान गुड़िया किसी से मोबाइल पर बात कर रही थी। जितेंद्र ने इस पर नाराजगी जताते हुए बात न करने की नसीहत दी।

गुड़िया। फाइल फोटो

कॉल काटने की जगह गुड़िया दूसरे कमरे में जाकर बात करने लगी। इसे लेकर जितेंद्र ने नाराजगी जताई और मोबाइल छीनकर पास पड़े डंडे से गुड़िया को पीटने लगा। डंडा सिर में लगने से गुड़िया बेसुध होकर गिर गई। बच्चों के शोर मचाने पर पड़ोसियों ने गुड़िया को सीएचसी पहुंचाया। जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

घटना की जानकारी पर मृतका के पिता माधोगंज के खंधेरिया खंजानपुर निवासी राम किशोर मौके पर पहुंचे। उन्होंने जितेंद्र के खिलाफ पुलिस को शिकायत पत्र दिया। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी सुबोध गौतम ने बताया कि शिकायत के आधार पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। संवाद

किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की कैद

महोबा। किशोरी से दुष्कर्म के ढाई साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम/अपर सत्र न्यायाधीश संदीप चौहान ने शुक्रवार को अभियुक्त कृष्णकांत सोनी निवासी ओडेरा, जनपद हमीरपुर को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

थाना पनवाड़ी के एक गांव निवासी ग्रामीण ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि 10 अगस्त 2023 की रात उसकी 15 वर्षीय नातिन घर पर सो रही थी। रात करीब ढाई बजे जब नींद खुली तो नातिन घर पर नहीं मिली।

11 अगस्त की सुबह करीब छह बजे कुछ लोग नातिन को बेहोश अवस्था में गांव से करीब आधा किमी दूर से उठाकर लाए। बाद में उसने जानकारी दी कि कृष्णकांत सोनी रात में उसके पास आया और तमंचा दिखाकर खेतों में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। संवाद

बैंक ऑफ़ इंडिया
रिश्तों की जमा पूंजी

ई-नीलामी विक्रय सूचना
सरफेसी अधिनियम 2002 के अंतर्गत

आंचलिक कार्यालय
128/24 ओम लक्ष्मी टॉवर, एच ब्लाक, किदवई नगर, कानपुर-208011, दूरभाष : 0512-2985004

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6(2) एवं 9(1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूति करण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना आम लोगों को तथा विशेष रूप से ऋणी (यों), जमानतकर्ता (ओं) को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो बैंक के कॉफ़ इण्डिया के पास गिरवी /प्रभारित है, का भौतिक / सांकेतिक कब्जा बैंक ऑफ़ इण्डिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **"जहां है, जैसी है एवं जो कुछ भी है"** के आधार पर विगम 13(2) के अन्तर्गत मांग सूचना वर्णित बकाया राशि एवं उस पर ब्याज, खर्च एवं व्ययों की वसूली हेतु विक्रय की जायेगी। सम्पत्ति का विवरण नीचे दिया गया है, आरक्षित मूल्य एवं धरोहर धनराशि सभी सम्पत्तियों के आगे अंकित है।

क्र. सं.	ऋणी /जमानतदार का नाम, मांग नोटिस दिनांक व राशि एवं कब्जा दिनांक/कब्जे का प्रकार	बंधक रखी सम्पत्ति का विवरण एवं सम्पत्ति के बंधककर्ता का नाम/ऋणी	आरक्षित मूल्य (लाख में) / धरोहर राशि (लाख में) / बोली वृद्धि राशि
	पनकी शाखा: पता:– 573 बी ब्लॉक पनकी जिला–कानपुर पिन कोड–208020		
1.	**ऋणी:** श्री रणजीत कुमार पुत्र दिनेश कुमार सविता **मांग सूचना दिनांक: 20.09.2025** **राशि: रू. 21,32,822.02** + ब्याज एवं अन्य खर्चे **कब्जा दिनांक: 24.12.2025 / सांकेतिक**	सभी संपत्ति का सामिक बंधक स्थित मकान संख्या ई–1/211, ईडब्लूएस, गिजौपुर भाग 1 रतनपुर पनकी, जिला कानपुर नगर **बंधककर्ता/मालिक का नाम:** श्री रणजीत कुमार पुत्र दिनेश कुमार सविता **क्षेत्रफल: 30.00 वर्ग मीटर** **संपत्ति की चौहद्दी: पूर्व:** प्लॉट संख्या ई–1/210, **पश्चिम:** प्लॉट संख्या ई–1/212, **उत्तर:** 7.5 मीटर चौड़ी सड़क, **दक्षिण:** प्लॉट संख्या ई–1/256एफ	रू. 16.54 रू. 1.65 रू. 25,000/–
	अकबरपुर माती शाखा: औरैया रोड, अकबरपुर, कानपुर देहात		
2.	**ऋणी:** श्रीमती शिखा गुप्ता पत्नी यतेंद्र कुमार गुप्ता **जमानतकर्ता:** श्री यतेंद्र कुमार गुप्ता पुत्र राम शंकर गुप्ता **मांग सूचना दिनांक: 27.05.2025** **राशि: रू. 18,36,084.63** + ब्याज एवं अन्य खर्चे **कब्जा दिनांक: 29.08.2025 / सांकेतिक**	सभी संपत्ति का सामिक बंधक स्थित मकान संख्या ई–1372, टाईप–EWS, स्कीम हाईवे सिटी एक्सटेंशन पार्ट–2 हाईवे सिटी विस्तार, कानपुर नगर, फेस–IV, कानपुर नगर **क्षेत्रफल: 30.00 वर्ग मीटर** **मालिक:** श्रीमती शिखा गुप्ता पत्नी यतेंद्र कुमार गुप्ता **परिसर की चौहद्दी: पूर्व:** प्लॉट संख्या ई–1371, **पश्चिम:** प्लॉट संख्या ई–1373, **उत्तर:** प्लॉट संख्या सी–1410ए, **दक्षिण:** 6 मीटर चौड़ी सड़क	रू. 13.21 रू. 1.32 रू. 25,000/–
	पुखरायां शाखा: मुख्य रोड, पुलिस चौकी के पास, पुखरायां, कानपुर देहात उ.प्र		
3.	**ऋणी:** मेसर्स मॉ केला देवी कंस्ट्रक्शन **प्रोपराइटर:** सुश्री अलका सिंह पत्नी शंभू सिंह **मांग सूचना दिनांक: 17.11.2022** **राशि: रू. 15,28,777.92** + ब्याज एवं अन्य खर्चे **कब्जा दिनांक: 20.06.2024 / सांकेतिक**	सभी संपत्ति का सामिक बंधक स्थित आराजी संख्या 50 व मौजा उमरिया तहसील भोगनीपुर कानपुर देहात **क्षेत्रफल 0.205 हेक्टेयर** **मालिक:** श्रीमती अलका सिंह पत्नी शंभू **परिसर की चौहद्दी: पूर्व:** इमरान का खेत, उसके बाद अन्य की भूमि, **पश्चिम:** रईस अहमद का खेत, उसके बाद **उत्तर:** जल्ला अहमद का खेत, उसके बाद **दक्षिण:** लिंक रोड पश्चेहपुर–सराय, उसके बाद अन्य भूमि	रू. 41.27 रू. 4.12 रू. 25,000/–

उपरोक्त सभी सम्पत्तियों हेतु धरोहर राशि जमा करने की अन्तिम तिथि 28.04.2026 शाम 04.00 बजे तक
उपरोक्त सभी सम्पत्तियों की ई-नीलामी दिनांक 28.04.2026 को समय प्रात: 11 बजे से शाम 5.00 बजे तक
(5 मिनिट अन्तराल के असीमित विस्तार के साथ)

विक्रय की नियम एवं शर्तें:– 1. यह ई–नीलामी **"जहां है, जैसी है"** एवं **"जो कुछ भी है"** के आधार पर हो रही है। 2. प्राधिकृत अधिकारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास तक नीलामी की जा रही सम्पत्ति भार मुक्त है फिर भी इच्छुक निविदाकर्ता को चाहिए की ई–नीलामी में भाग लेने से पूर्व स्वतन्त्र रूप से सभी भार, टाइटिल क्लेम संविधिक देयतायें (सीमा शुल्क एवं उत्पाद कर/आयकर एवं या अन्य कोई सरकारी एजेंसी) आदि की स्वयं जांच कर ले। सभी सम्पत्तियां सभी वर्तमान एवं भविष्य के ज्ञात अथवा अज्ञात भारों के साथ बेची जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी किसी भी प्रकार के तृतीय / अन्य पक्षकार के क्लेम अधिकार एवं देनदारियों के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। 3. यह निविदाकर्ताओं का उत्तरदायित्व है कि ई–नीलामी में भाग लेने से पूर्व सम्पत्ति का निरीक्षण कर पूर्ण रूप से संतुष्ट हो ले। सम्पत्ति के निरीक्षण के लिये बैंक ऑफ़ इण्डिया की संबंधित शाखा से सम्पर्क कर सकते है। **4.** इच्छुक निविदाकर्ता बैंक पोर्टल **https://www.BAANKNET.com** पर रजिस्टर करके आपना यूजर आईडी एवं पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त कर सकेंगे तथा इसी पोर्टल के माध्यम से ईएमडी जमा की जा सकती है। **5.** बैंक पोर्टल में पंजीकरण के पश्चात इच्छुक निविदाकर्ता निम्नलिखित दस्तावेजों को निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व बैंक पोर्टल में अपलोड कर ले। **1.** पैन कार्ड की प्रति, **2.** आईडी प्रूफ (केवाईसी) जैसे– स्वयं सत्यापित आधार कार्ड/वोटर आईडी कार्ड/ड्राईविंग लाईसेन्स / पासपोर्ट आदि। **6.** ई–नीलामी प्रक्रिया में केवल वैध यूजर आईडी, पासवर्ड धारक निविदाकर्ता ही भाग ले सकेंगे। **7.** केवल वही इच्छुक निविदाकर्ता जिन्होने ईएमडी भुगतान **दिनांक 28.04.2026** तक तय समय से कर दिया है, ही ई–नीलामी प्रक्रिया में भाग ले पायेंगे। **8.** यदि सम्पत्ति का आरक्षित मूल्य रू 50 लाख तक है तो निविदाकर्ता निविदा की राशि रू. 25000/– के गुणा के ही बढ़ा पायेंगे, इसी प्रकार यदि आरक्षित मूल्य रू. 50 लाख से अधिक है तो यह राशि रू. 50000/– होगी। **9.** उपचलन बोली लगाने वाले को प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति से सफल बोलीकर्ता घोषित किया जायेगा। जिसकी जानकारी उसे इलेक्ट्रिक मोड द्वारा उनके ईमेल पते पर दी जायेगी। **10.** प्राधिकृत अधिकारी उपचलन बोली को भी स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा तथा किसी भी बोली को स्वीकार / निरस्त करने का अधिकार प्राधिकृत अधिकारी को ही होगा। **11.** सफल बोलीकर्ता की ईएमडी राशि **BAANKNET** वॉलेट में ही रहेगी तथा सभी असफल बोलीकर्ता की राशि **BAANKNET** से वापस ली जा सकेगी। ईएमडी राशि पर **BAANKNET** द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा। **12.** सफल बोलीकर्ता को विक्रय मूल्य (अर्थात अधिकतम बोली राशि) का 25 प्रतिशत (ईएमडी राशि सम्मिलित करके) तुरन्त जमा करना होगा। शेष बकाया राशि उसे 15 दिन या उसके अन्दर जमा करना होगा। फफल बोलीकर्ता द्वारा भुगतान में असफल रहने की स्थिति में उसके द्वारा जमा राशि बिना किसी पूर्व सूचना के जब्त कर ली जायेगी। **13.** निविदाकर्ता को यह सलाह दी जाती है कि निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व विस्तृत नियम एवं शर्तों की जानकारी **https://www.bankofindia.co.in, https://www.BAANKNET.com** से प्राप्त कर लें। **14.** यदि विक्रय मूल्य 50 लाख रुपये या उससे अधिक है तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194–IA के अंतर्गत अधिकतम विक्रय मूल्य पर सफल बोलीदाता द्वारा टीडीएस कर देय होगा तथा सरकारी नियमों के अनुसार विक्रय मूल्य पर अतिरिक्त जीएसटी (जहां भी लागू हो) देय होगा। **15.** इच्छुक निविदाकर्ता के पास बिड से संबंधित उचित संसाधन होने चाहिए, इस संबंध में कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। **16.** बोली आरक्षित मूल्य के ऊपर ही स्वीकार की जायेगी।

ऋणकर्ताओं/जमानतदारों/बंधककर्ता को 15 दिन की विक्रय सूचना

उपरोक्त वर्णित उधारकर्ता/जमानकर्ता/बंधककर्ता को धारा 13 (2) में वर्णित राशि नीलामी की तिथि के पूर्व भुगतान करने हेतु सूचना दी जाती है। राशि जमा करने में असफल रहने पर सम्पत्ति नीलाम कर दी जायेगी तथा शेष राशि मय ब्याज तथा लागत के साथ आपसे वसूल की जायेगी अथवा उपाकर्ता उपरोक्त दिनांक की बैंक द्वारा उनके खाते में देय राशि की वसूली हेतु आयोजित नीलामी में भी भाग ले सकते है।

दिनांक: 11.04.2026 **स्थान: कानपुर** **प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया**

कानपुर विकास प्राधिकरण
कार्यालय

आवश्यक सूचना:–एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भूखण्ड संख्या 09 व 10 ब्लाक डी योजना 04 सोसामऊ, कानपुर नगर प्रत्येक का क्षेत्रफल क्रमशः 514.07 एवं 511.43 वर्गगज कुल क्षेत्रफल 1025.25 वर्गगज अर्थात 857.440 वर्गमीटर की इण्डेन्चर डीड दिनांक 30.05.1933 की कानपुर विकास प्राधिकरण की पूर्ववर्ती संस्था कानपुर इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट द्वारा श्री एस अवतार हुसैन पुत्र श्री वैजूद नाजिर हुसैन के पक्ष में किया किसी पट्टा भाड़ा बिना किसी पट्टा अवधि के आवंशीय प्रयोजन हेतु निष्पादित की गयी थी। जिसका सम्पूर्ण भुगतान जमा किया जा चुका है। तत्पश्चात् मूल इण्डेन्चरधारक द्वारा वर्णित भूखण्ड को वरिये पंजीकृत बैनामा दिनांक 26.07.1961 को श्रीमती सैयद अख्तर जहाँ बेगम पत्नी इफिक सैयद एहतिशाम हसन के पक्ष में गिफ्टम कर दिया गया। प्रस्तुत प्रपत्रों के अनुसार बैनामाधारिका श्रीमती सैयद अख्तर जहाँ बेगम की मृत्यु दिनांक 12.05.1993 को एवं इनके पति श्री एहतिशाम हसन की मृत्यु दिनांक 04.02.1991 को हो चुकी है। सलंग्न बैनामे के अनुसार मृतका के दो पुत्र मोहम्मद इस्माइल सैयद व मोहम्मद इल्यास हुए। उक्त के वारिसानों के मध्य हुये आपसी बटवारें के अनुसार वर्णित सम्पत्ति का जुजभाग विक्रयता 457.15 वर्गमीटर कानपुर नगर निगम द्वारा निर्धारित मकान नं0 105/196 स्थित मकानगत के कानपुर नगर मोहम्मद इस्माइल को एवं जुजभाग क्षेत्रफल 400.299 वर्गमीटर भवन संख्या 105/196 ए मोहम्मद इल्यास को प्राप्त हुआ। मोहम्मद इस्माइल द्वारा अपने प्राप्त हिस्से क्षेत्रफल 457.15 वर्गमीटर भवन संख्या 105/196 को वरिये पंजीकृत बैनामा दिनांक 07.06.2024 को श्री नूर आलम पुत्र स्व0 हाफिज उल्ला के पक्ष में विक्रय कर दिया गया। जिसका नामान्तरण विशेष कार्याधिकारी महोदय के आदेश 08.08.2025 द्वारा क्रेता के पक्ष में किया जा चुका है। वर्तमान में मोहम्मद इल्यास द्वारा अपने प्राप्त हिस्से क्षेत्रफल 400.299 वर्गमीटर में से पंजीकृत बैनामा के पश्चात् परिवारिक के आधार पर नामान्तरण किये जाने की मांग की गयी है। प्रश्नगत् भूखण्ड जुजभाग क्षेत्रफल 358.494 वर्गमीटर पर पंजीकृत बैनामा/आपसी बटवारा के पश्चात परिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र के आधार पर नामान्तरण किये जाने में यदि किसी को कोई आपत्ति हो और प्रश्नगत् सम्पत्ति पर अपना हक/अधिकार रखते हो तो इस प्रकाशन तिथि के 30 दिनों के अन्दर अपने प्रमाणिक साक्ष्यों सहित लिखित आपत्ति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय विक्रय जोन–1प में प्रस्तुत कर दें, निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत आपत्ति पर विचार किया जाना सम्भव नही होगा, बल्कि पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों के आधार पर नामान्तरण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

विशेष कार्याधिकारी (विक्रय जोन–1प)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता
नगर निगम कानपुर

पत्रांक :- डी/502/मु0 अभि0/सी0एम0जी0/2026-27 दिनांक :- 09-04-2026

ई-निविदा सूचना

नगर निगम कानपुर द्वारा सीएम हिडस योजनान्तर्गत फेज-3 के निम्न कार्य हेतु पात्र निविदादाताओं से ई-निविदायें https://etender.up.nic.in आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	पैकेज सं०	नगर निगम	रोड आई० डी०	अन्तर्निहित मार्ग	मार्ग की लम्बाई (किमी)	अनुमानित लागत जीएसटी रहित (लाख में) निर्माण लागत (₹लाख में)	5 वर्षीय अनुरक्षण लागत (₹लाख में)	कार्य की सम्पूर्ण अनुमानित लागत (₹लाख में)	निर्माण धरोहर धनराशि (₹लाख में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि (माह में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य जी.एस.टी. सहित (₹ में)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PACKAGE-01	नगर निगम कानपुर	KMC/CMG/25-26/PKG-01	जोन-06 के अन्तर्गत गुरूदेव रोड से आई०सी०ए० आई० भवन रोड एवं अवधपुरी रोड के उन्नयन एवं समेकित विकास का कार्य।	1.942	3756.69	67.41	3824.10	76.49	15	46689.00
				कुल योग	1.942	3756.69	67.41	3824.10	76.49	15	46689.00

निविदा की समय सारणी

क्र.सं.	विवरण	दिनांक एवं समय
1	ई-निविदा डाउनलोड / प्रारम्भ की तिथि	13.04.2026, 03:00 बजे से
2	ई-निविदा प्री-बिड मीटिंग की तिथि	23.04.2026 अपरान्ह 3:00 बजे, कार्यालय-अर्बन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट एजेन्सी (यूरिडा), नगर निकास निदेशालय, सेक्टर, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ, 3010-226010 / आनलाइन Email:-chiefengineernagarnigam@gmail.com
3	ई-निविदा अपलोड की अन्तिम तिथि / समय	14.05.2026, 3:00 बजे तक
4	ई-निविदा खोले जाने की तिथि / समय	14.05.2026, 04:00 बजे
5	ई-निविदा की पहचान सं०	"CMGRIDS"

निविदा से संबंधित समस्त प्रपत्र, नियम/शर्तें व अन्य विवरण नगर निगम, कानपुर की वेबसाइट kmc.up.nic.in व ई-प्रक्योरमेन्ट की वेबसाईट https://etender.up.nic.in पर दिनांक 13.04.2026 से देखी जा सकती है।

निविदा आमंत्रण कर्ता को आईटीबी क्लॉज-10 के अनुसार आनलाइन परिशिष्ट / शुद्धिपत्र जारी करने का अधिकार है जो किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जावेगा। सभी सम्भावित निविदादाताओं को सलाह दी जाती है कि नियमित रूप से ई-निविदा पोर्टल पर निगरानी रखे। निविदा से संबंधित समस्त प्रपत्र, नियम / शर्तें व अन्य विवरण नगर निगम, कानपुर की वेबसाइट kmc.up.nic.in व ई-प्रोक्योरमेन्ट वेबसाईट https://etender.up.nic.in पर दिनांक 13.04.2026 से देखी जा सकती है।

उक्त निविदा की निर्माण धरोहर धनराशि एवं निविदा प्रपत्र मूल्य का भुगतान ई-निविदा वेबसाईट के द्वारा ऑनलाईन ही किया जायेगा।

निविदा से सम्बन्धित किसी भी प्रश्न को आहूत प्री-बिड की बैठक से 24 घण्टे पूर्व तक निम्नलिखित ई-मेल पर दिनांक 22.04.2026 तक प्राप्त करायी जा सकती है ताकि उक्त दिनांक को आयोजित बैठक में सुसंगत उत्तरालेख प्रस्तुत किया जा सके।

chiefengineernagarnigam@gmail.com, urida.goup@gmail.com

दिनांक 23.04.2026 के उपरान्त निविदा से सम्बन्धित कोई भी प्रश्न / शिकायत पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

मुख्य अभियन्ता,
नगर निगम कानपुर।

कार्यालय नगर पालिका परिषद, बाँदा

पत्रांक 73 / निर्माण वि0 / ए0प्रा0परि0 बाँदा /2026-27 दिनांक 09/04/ 2026

"ई-निविदा सूचना"

निर्माण कार्य करने वाले समस्त ठेकेदारों को सूचित किया जाता हैं, कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में नगरीय झील / तालाब / पोखर संरक्षण योजना, पार्क का निर्माण एंव विकास (उपवन) योजना तथा सांस्कृतिक, धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर अवस्थापना सुविधाओ के विकास कार्य हेतु "वंदन" योजना, सीवरेज एवं जल निकासी योजना तथा पेयजल हेतु व्यवस्था योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि के सापेक्ष ई-निविदा आमंत्रित की जा रही हैं। जो दिंनाक 30.04.2026 से 12.05.2026 पूर्वान्ह 10:00 बजे तक अपलोड की जा सकती हैं। उक्त निविदायें दिनांक 12.05.2026 को अपरान्ह 02.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं/ठेकेदारों के समक्ष ऑनलाइन खोली जायेगी। निविदा से सम्बन्धित नियम व शर्ते कार्यालय दिवस में निर्माण विभाग में देखी जा सकती हैं तथा वेबसाइट http://banda.nic.in व http://etender.up.nic.in पर भी उपलब्ध हैं।

अधिशासी अधिकारी **अध्यक्ष**
नगर पालिका परिषद, बाँदा **नगर पालिका परिषद, बाँदा**

कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर

: आवश्यक सूचना :–

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कानपुर विकास प्राधिकरण की पूर्ववर्ती संस्था कानपुर नगर महापलिका द्वारा काकादेव में 18.807 एकड़ भूमि की लीजडीड दिनांक 24.01.1964 को जन मेवक को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि० के पक्ष में निष्पादित की गयी। जन सेवक सोसाइटी द्वारा उक्त भूमि में महापलिका से ले-आउट स्वीकृत करावर भूखण्ड सं० बी-31, ब्लाक सी, योजना प्रथम काकादेव, कानपुर क्षेत्रफल 1058 वर्गगज व भू-उपयोग आवासीय है, की सब-लीजडीड दिनांक 22.04.1971 को श्री कृष्ण चन्द्र पुत्र श्री शेकुल चन्द के पक्ष में निष्पादित की गई है। उक्त भूखण्ड के पट्टाधारक श्री कृष्ण चन्द्र द्वारा दिनांक 21.08.1975 को पंजीकृत मुख्तारआम श्री सिद्धनाथ दीक्षित पुत्र श्री एस प्रसाद नियुक्त किया। तत्पश्चात् उक्त भूखण्ड के पट्टाधारक श्री कृष्ण चन्द्र द्वारा पंजीकृत मुख्तारआम श्री सिद्धनाथ दीक्षित द्वारा उक्त भूखण्ड का पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 11.10.1976 की श्री सतनाम सिंह पुत्र श्री महताब सिंह के पक्ष में कर दिया। उक्त भूखण्ड के केता श्री सतनाम सिंह की मृत्यु दिनांक 23.07.1992 को हो गयी। अवैदक द्वारा प्रस्तुत पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र सं0 20250331129029018/ पारिवारिक सदस्यता प्रमाण-पत्र दिनांक 25.04.2025 के अनुसार मे० सतनाम सिंह के परिवार में निम्नलिखित सदस्य शेष है:–

तालिका–1– 1. श्री सतेन्द्र मोहन दीगरा पुत्र उम्र 67 वर्ष, 2. श्री कृष्ण मोहन सतनाम सिंह दीगरा पुत्र उम्र 63 वर्ष, 3. श्रीमती रति गुलाटी पुत्री उम्र 55 वर्ष, 4. श्रीमती चंचल कुमारी पत्नी उम्र 91 वर्ष

उक्त भूखण्ड के केता सतनाम सिंह के एक पुत्र श्री कृष्ण मोहन दीगरा ने अपने स्वामित्व के 1/4 भाग का पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 19.12.1996 को अपने भाई सतेन्द्र मोहन दीगरा के पक्ष में कर दिया। इसके अतिरिक्त उक्त भूखण्ड के अन्य वारिसानों द्वारा उक्त भूखण्ड के बाबत मे० न्यायालय अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट मनप्र, कानपुर में वाद संख्या–198/197 सतेन्द्र मोहन दीगरा बनाम चंचल कुमारी दीगरा व अन्य गोजित किया गया, जिसमें मे० न्यायालय द्वारा दिनांक 09.01.1998 को आदेश पारित किया, जिसके अनुसार उक्त भूखण्ड के सम्पूर्ण भाग के स्वामी श्री सतेन्द्र मोहन दीगरा पुत्र श्री सतनाम सिंह दीगरा होंगे। वर्तमान में, श्री सतेन्द्र मोहन दीगरा पुत्र श्री सतनाम सिंह दीगरा द्वारा पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र, प्रार्थना पत्र/शपथ पत्र, मूल प्रमाण, पंजीकृत विक्रय पत्र की सत्यापित प्रति, मे० न्यायालय के आदेश की सत्यापित प्रति आदि प्रपत्र प्रस्तुत करते हुए उक्त भूखण्ड का नामान्तरण अपने पक्ष में किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। भविष्य में होने वाली आपत्तियों के दृष्टिकोण से समाचार पत्र में इस आशय से विज्ञप्ति प्रकाशित करायी जा रही है कि उपरोक्त शपथ पत्र / प्रार्थना पत्र के आधार श्री सतेन्द्र मोहन दीगरा पुत्र श्री सतनाम सिंह दीगरा का नाम प्राधिकरण अभिलेखों में अंकित किये जाने में यदि किसी को कोई अपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 30 दिवसों के भीतर साक्ष्य सहित अपनी अपत्ति प्राधिकरण के कार्यालय विक्रय जोन–2 अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से दाखिल कर सकता है। निर्धारित समयावधि के उपरान्त कोई अपत्ति क्लेम मान्य नहीं होगा तथा भूखण्ड सं० बी-31, ब्लाक सी, योजना प्रथम काकादेव, कानपुर क्षेत्रफल 1058 वर्गगज पर प्राधिकरण अभिलेखों में श्री सतेन्द्र मोहन दीगरा पुत्र श्री सतनाम सिंह दीगरा का नाम अंकित किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

विशेष कार्याधिकारी (विक्रय जोन–2वी)

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
Where service is a way of life

Punjab & Sind Bank
(A Govt. of India Undertaking)

जेड.ओ. आगरा : 100 फीट रोड, दयालबाग
आगरा, उत्तर प्रदेश- 282005
Email: zo.agra@psb.bank.in

बिक्री सूचना

अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना दिनांक 30.04.2026 (पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 4.00 बजे तक)

एतद्द्वारा अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना को प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियमों 2002 के नियम 6(2) चल और 8(6) अचल के प्रावधान के साथ पठित प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, 2002 की वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रवर्तन के तहत जारी किया जाता है। इसके द्वारा जन साधारण और विशेष रूप से ऋणकर्ता, रहनकर्ता (ओं) और गारंटर (ओं) को नोटिस दिया जाता है कि प्रत्याभूति ऋणदाता के पास गिरवी/प्रभार में रखी गई नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जिसका सांकेतिक कब्जा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी/प्रत्याभूति ऋणदाता द्वारा लिया गया है, जिसे नीचे वर्णित खातों में बकाया की वसूली के लिए "जैसा है जहां है", "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी वहां है" के आधार पर बेचा जाएगा। ऋणकर्ता/रहनकर्ता/गारंटरों का विवरण/प्रत्याभूति संपत्तियों विवरण/बकाया/आरक्षित मूल्य/ई-नीलामी की तिथि और समय, ईएमडी राशि का उल्लेख नीचे दी गई तालिका में किया गया है।

अचल संपत्तियों का ब्यौरा

क्र. सं.	ऋणकर्ता/बैंक शाखा का नाम	रहनकार (संपत्ति का स्वामी) के नाम सहित संपत्ति का ब्यौरा	मांग सूचना की तिथि और इसमें उल्लेखित बकाया राशि	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि राशि	संपत्ति निरीक्षण की तिथि व समय	कब्जे की स्थिति (भौतिक या सांकेतिक)	ईएमडी प्रस्तुतिकरण की अंतिम तिथि व समय	ई-नीलामी की तिथि व समय	प्राधिकृत अधिकारी का नाम व संपर्क संख्या	लोकेशन साइट हेतु क्यूआर कोड	संपत्ति इमेज हेतु क्यूआर कोड	सेवा प्रदाता हेतु क्यूआर कोड
1.	**श्रीमती सीमा वर्मा पत्नी श्री संजय वर्मा एवं श्री संजय वर्मा पुत्र हीरालाल वर्मा** **बीओ: सुंदरनगर, कानपुर**	मौजा राधतपुर (नगर निगम द्वारा